



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 971]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 25, 2009/आषाढ़ 4, 1931

No. 971]

NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 25, 2009/ASADHA 4, 1931

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 25 जून, 2009

का.आ. 1544(अ).—केन्द्रीय सरकार, भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 (1986 का 63) की धारा 14 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय मानक ब्यूरो से परामर्श करने के पश्चात् एतद्द्वारा निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम डक्टाइल आयरन प्रेशर पाइप्स एवं फिटिंग्स (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2009 है।

(2) यह आदेश 1 जुलाई, 2009 से प्रवृत्त होगा।

2. **परिभाषाएं.**—इस आदेश में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) “अधिनियम” से भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 (1986 का 63) अभिप्रेत है;

(ख) “समुचित प्राधिकारी” से अभिप्रेत—

(i) राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों के उद्योग निदेशक या आयुक्त;

(ii) औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग, भारत सरकार के अवर सचिव के स्तर से नीचे का न हो;

(iii) किसी राज्य सरकार के जिला उद्योग केन्द्र का महाप्रबंधक।

(ग) “ब्यूरो” से भारतीय मानक ब्यूरो अभिप्रेत है;

(घ) डक्टाइल आयरन प्रेशर पाइप्स एवं फिटिंग्स के संबंध में “व्यवहारी” से कोई ऐसा व्यक्ति या कोई फर्म या कोई हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब या एक कम्पनी या एक सहकारी सोसाइटी अभिप्रेत है जो प्रत्यक्ष रूप से या अन्यथा, किन्हीं ऐसे डक्टाइल आयरन प्रेशर पाइप्स एवं फिटिंग्स का, चाहे नकद अथवा आस्थगित संदाय के लिए अथवा कमीशन, पारिश्रमिक या अन्य मूल्यवान प्रतिफल के लिए, क्रय करने, विक्रय करने, प्रदाय करने या वितरण करने का कारोबार करता है;

(ङ) “डक्टाइल आयरन प्रेशर पाइप्स एवं फिटिंग्स” से अनुसूची के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट मर्दे अभिप्रेत हैं;

- (च) डक्टाइल आयरन प्रेशर पाइप्स एवं फिटिंग्स के संबंध में, “विनिर्माता” से ऐसा कोई व्यक्ति, कोई फर्म या कोई हिन्दु अविभक्त कुटुम्ब या एक कंपनी या एक सहकारी सोसाइटी अभिप्रेत हैं जो किन्हीं ऐसे डक्टाइल आयरन प्रेशर पाइप्स एवं फिटिंग्स का उत्पादन करता है, उन्हें बनाता है, उनका समुच्चय या विनिर्माण करता है और इसके अंतर्गत ऐसा कोई व्यक्ति या कोई फर्म या हिन्दु अविभक्त कुटुम्ब या एक कंपनी या एक सहकारी सोसाइटी भी है जो यह दावा करता है कि ऐसे डक्टाइल आयरन प्रेशर पाइप्स एवं फिटिंग्स का यथास्थिति, ऐसे व्यक्ति या फर्म या हिन्दु अविभक्त कुटुम्ब या एक कंपनी या एक सहकारी सोसाइटी द्वारा उत्पादन किया गया है, उन्हें बनाया गया है, उनका समुच्चय या विनिर्माण किया गया है;
- (छ) “अनुसूची” से इस आदेश से उपाबद्ध अनुसूची अभिप्रेत है;
- (ज) डक्टाइल आयरन प्रेशर पाइप्स एवं फिटिंग्स के संबंध में “विनिर्दिष्ट मानक” से ऐसे मानक अभिप्रेत हैं जो अनुसूची के स्तंभ 1 में तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट किए गए हों,
- (झ) “संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में राज्य सरकार” से अभिप्रेत प्रशासन है; और
- (ञ) अन्य सभी शब्दों और पदों के, जो इस आदेश में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं, वही अर्थ होंगे जो क्रमशः उनके उस अधिनियम के तहत हैं।

3. **विनिर्माण, भंडारकरण, विक्रय और वितरण आदि के बारे में प्रतिषेध** — (1) कोई व्यक्ति स्वयं या अपनी ओर से किसी व्यक्ति के माध्यम से ऐसे किन्हीं डक्टाइल आयरन प्रेशर पाइप्स एवं फिटिंग्स का, जो विनिर्दिष्ट मानकों के अनुरूप नहीं है और प्रमाणीकरण चिन्ह अनुज्ञप्ति अभिप्राप्त करने पर मानक ब्यूरो चिन्ह नहीं रखते हैं, विनिर्माण या विक्रय के लिए भंडारकरण, विक्रय या वितरण नहीं करेगा;

परन्तु इस आदेश की कोई बात निर्यात के लिए अपेक्षित ऐसे डक्टाइल आयरन प्रेशर पाइप्स एवं फिटिंग्स के निर्यात के संबंध में लागू नहीं होगी, जो विदेशी क्रेता द्वारा अपेक्षित किसी विनिर्देश के अनुरूप हैं और ऐसा कोई विनिर्देश किसी भी दशा में विनिर्दिष्ट मानक से कम नहीं होगा।

(2) ऐसे मानकच्युत या दोषपूर्ण डक्टाइल आयरन प्रेशर पाइप्स एवं फिटिंग्स को, जो विनिर्दिष्ट मानक के अनुरूप नहीं है, विनिर्माता द्वारा तीन मास के भीतर उपयोग न किए जाने सकने वाले रूप में विरूपित और रद्दी के रूप में ठिकाने लगाया जाएगा।

4. **प्रमाणीकरण के लिए बाध्यता**- (1) डक्टाइल आयरन प्रेशर पाइप्स एवं फिटिंग्स के लिए सभी विनिर्माता ब्यूरो को, इस आदेश के जारी होने के पैंतालीस दिन के भीतर मानक चिन्ह के उपयोग के लिए अनुज्ञप्ति अभिप्राप्त करने के लिए, यदि पहले से अभिप्राप्त न की गई हो तो, एक आवेदन करेंगे।

(2) मानक चिन्ह के उपयोग के लिए ब्यूरो द्वारा अनुज्ञप्ति की मंजूरी अधिनियम और नियमों तथा उनके अधीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों के अनुसार होगी।

(3) कोई व्यक्ति जो स्वयं या अपनी ओर से किसी व्यक्ति के माध्यम से किन्हीं डक्टाइल आयरन प्रेशर पाइप्स एवं फिटिंग्स का विनिर्माण करने की प्रस्थापना करता है, तो वह उसका नियमित उत्पादन, मानक चिन्ह के उपयोग के लिए ब्यूरो से विधिमान्य अनुज्ञप्ति करने के पश्चात् ही, प्रारम्भ करेगा।

(4) डक्टाइल आयरन प्रेशर पाइप्स एवं फिटिंग्स के लिए किसी अनुज्ञप्ति की समाप्ति या ब्यूरो द्वारा उसके रद्दकरण के परिणामस्वरूप समुचित प्राधिकारी को भी ब्यूरो द्वारा सूचित किया जाएगा।

5. **जानकारी मांगने की शक्ति आदि** — (1) समुचित प्राधिकारी, इस आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराने की दृष्टि से -

(क) किसी व्यक्ति से, जो ऐसे किन्हीं डक्टाइल आयरन प्रेशर पाइप्स एवं फिटिंग्स के विनिर्माण, विक्रय के लिए भंडारण, विक्रय या वितरण में लगा हुआ है, ऐसी जानकारी देने की अपेक्षा कर सकेगा जो वह इस आदेश के कार्यान्वयन के लिए किन्हीं डक्टाइल आयरन प्रेशर पाइप्स एवं फिटिंग्स के विनिर्माण, विक्रय के लिए भंडारण, विक्रय या वितरण के संबंध में आवश्यक समझे, अथवा

(ख) ऐसी किन्हीं बहियों या अन्य दस्तावेजों और अन्य डक्टाइल आयरन प्रेशर पाइप्स एवं फिटिंग्स के संघटकों का जो ऐसे डक्टाइल आयरन प्रेशर पाइप्स एवं फिटिंग्स के विनिर्माण, विक्रय के लिए भंडारण, विक्रय या वितरण में लगे हुए किसी व्यक्ति द्वारा रखे गए हों या उससे संबंधित या उसके कब्जे में या उसके नियंत्रण के अधीन हों, निरीक्षण कर सकेगा या निरीक्षण करवा सकेगा,

(ग) किन्हीं परिसरों में प्रवेश कर सकेगा और तलाशी कर सकेगा और ऐसे किन्हीं डक्टाइल आयरन प्रेशर पाइप्स एवं फिटिंग्स का अभिग्रहण कर सकेगा जिनके संबंध में उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि इस आदेश का कोई उल्लंघन किया गया है अथवा उक्त डक्टाइल आयरन प्रेशर पाइप्स एवं फिटिंग्स विनिर्दिष्ट मानक के नहीं हैं।

(2) तलाशी और अभिग्रहण से संबंधित दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) के उपबन्ध, यावतशक्य, जो उपखण्ड (1) में वर्णित प्रावधानों के उद्देश्य के लिए इस खण्ड के अधीन तलाशियों और अभिग्रहणों को लागू होंगे।

6. नमूनों का परीक्षण - मानक चिन्ह रखने वाले किन्हीं डक्टाइल आयरन प्रेशर पाइप्स एवं फिटिंग्स के ऐसे नमूनों का, जो समुचित प्राधिकारी द्वारा यह अभिनिश्चित करने के लिए हो कि वे विनिर्दिष्ट मानक के हैं, परीक्षण ब्यूरो द्वारा अनुमोदित प्रयोगशाला में और ऐसी रीति से, जो ब्यूरो द्वारा अवधारित की जाए, किया जाएगा।

7. विनिर्माताओं और व्यवहारियों या विक्रेताओं को निदेश जारी करने की शक्तियां - समुचित प्राधिकारी, विनिर्माताओं और व्यवहारियों को ऐसे निदेश जारी कर सकेगा, जो इस अधिनियम या इस आदेश के उपबंधों से संगत हों, जो इस आदेश के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक हों।

8. निदेशों का अनुपालन - प्रत्येक व्यक्ति, जो किन्हीं डक्टाइल आयरन प्रेशर पाइप्स एवं फिटिंग्स के विनिर्माण, विक्रय के लिए भंडारण, विक्रय या वितरण में लगा हुआ है, जिसको इस आदेश के अधीन कोई निदेश जारी किया गया है, ऐसे निदेश का अनुपालन करेगा।

9. जानकारी देने की बाध्यता - कोई विनिर्माता या व्यवहारी इस आदेश के उपबंधों से बचने के आशय से खण्ड 5 के अधीन उससे विधिपूर्वक मांगी गई किसी जानकारी को देने से इंकार नहीं करेगा अथवा ऐसे व्यक्ति द्वारा या उसके कब्जे या नियंत्रण में रखी गई किसी बही या दस्तावेज या डक्टाइल आयरन प्रेशर पाइप्स एवं फिटिंग्स को न तो छिपाएगा, न विकृत या विरूपित करेगा।

अनुसूची

[खण्ड 2 (घ)]

भारतीय मानक संख्या	शीर्षक
1	2
आई एस 8329	पानी, गैस तथा सीवेज के लिए अपकेन्द्रीय कास्ट (स्पन) डक्टाइल आयरन प्रेशर पाइप्स
आई एस 9523	पानी, गैस तथा सीवेज के प्रेशर पाइप्स के लिए डक्टाइल आयरन फिटिंग्स

[फा. सं. 14(37)/2004-एलईआई]

रेणु शर्मा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY
(Department of Industrial Policy and Promotion)

ORDER

New Delhi, the 25th June, 2009

S.O. 1544(E).— In exercise of the powers conferred by section 14 of the Bureau of Indian Standards Act, 1986 (63 of 1986), the Central Government, after consulting the Bureau of Indian Standards, hereby makes the following Order, namely:-

1. **Short title and commencement** - (1) This order may be called the Ductile Iron Pressure Pipes and Fittings (Quality Control) Order, 2009.
- (2) It shall come into force with effect from the 1st day of July, 2009.
2. **Definitions** – In this Order, unless the context otherwise requires –
 - (a) "Act" means the Bureau of Indian Standards Act, 1986 (63 of 1986);
 - (b) "appropriate authority" means –
 - (i) Directors or Commissioners of Industries of a State Governments or Union territories
 - (ii) an officer not below the rank of an Under Secretary in the Department of Industrial Policy and Promotion, Government of India; or
 - (iii) General Managers, District Industries Centre of a State Government;
 - (c) "Bureau" means the Bureau of Indian Standards;
 - (d) "dealer in relation to Ductile Iron Pressure Pipes and Fittings" means a person who, or a firm or a Hindu undivided family or a company or a cooperative society, which, carries on, directly or otherwise, the business of buying, selling, supplying or distributing any such Ductile Iron Pressure Pipes and Fittings whether in cash or for deferred payment or for commission, remuneration or other valuable consideration;

(e) **"Ductile Iron Pressure Pipes and Fittings"** means the items specified in column (2) of the Schedule;

(f) **"manufacturer** in relation to Ductile Iron Pressure Pipes and Fittings" means a person who or firm or a Hindu undivided family or a company or a cooperative society, which produces, makes, assembles or manufactures Ductile Iron Pressure Pipes and Fittings and includes a person who, or a firm or Hindu undivided family or a company or a cooperative society, which claims such Ductile Iron Pressure Pipes and Fittings to be produced, made, assembled or manufactured by such person or a firm or Hindu undivided family or a company or a cooperative society, as the case may be,

(g) **"Schedule"** means the Schedule annexed to this Order;

(h) **"Specified Standard** in relation to Ductile Iron Pressure Pipes and Fittings" means the standard as specified in the corresponding entry in column (1) of the Schedule,

(i) **"State Government** in relation to a Union territory" means the Administration thereof; and

(j) all other words and expressions used herein and not defined in this Order shall have the meanings respectively assigned to them under the Act.

3. **Prohibition regarding manufacture, storage, sale and distribution etc. –**

(1) No person shall by himself or through any person on his behalf manufacture or store for sale, sell or distribute Ductile Iron Pressure Pipes and Fittings which do not conform to the specified standard and do not bear Standard Mark of the Bureau on obtaining certification marks licence:

Provided that nothing in this Order shall apply in relation to export of Ductile Iron Pressure Pipes and Fittings meant for export, which conform to any specification required by the foreign buyer and such specification shall not in any case be less than the specified standard.

(2) The sub-standard or defective Ductile Iron Pressure Pipes and Fittings, which do not conform to the specified standard shall be deformed by the manufacturer beyond use and disposed off as scrap within three months.

4. **Obligation for Certification** - (1) All manufacturers of Ductile Iron Pressure Pipes and Fittings shall make an application to the Bureau for obtaining licence for use of the Standard Mark, within forty-five days of the issue of this Order, if not already obtained.

(2) The grant of licence by the Bureau for use of the Standard Mark shall be as per the provisions of the Act and rules and regulations made thereunder.

(3) When any person by himself or through any person on his behalf proposes to manufacture Ductile Iron Pressure Pipes and Fittings, he shall commence regular production only after obtaining a valid licence from Bureau for the use of Standard Mark.

2329 48/09-2

(4) Consequent to the expiry of any licence or cancellation thereof by the Bureau for one or more of the Ductile Iron Pressure Pipes and Fittings, the appropriate authority shall also be informed of the same by the Bureau.

5. **Power to call for information, etc.** – (1) The appropriate authority may, with a view to securing compliance with this Order –

- (a) require any person engaged in the manufacture, storage for sale, sale or distribution of any Ductile Iron Pressure Pipes and Fittings to give such information as he or she deems necessary relating to the manufacture, storage for sale, sale or distribution of any Ductile Iron Pressure Pipes and Fittings for the implementation of this Order or require any such person to furnish to him samples of any such Ductile Iron Pressure Pipes and Fittings;
- (b) inspect or cause to be inspected any books or other documents and other Ductile Iron Pressure Pipes and Fittings or the components of any such Ductile Iron Pressure Pipes and Fittings kept by or belonging to or in the possession or under the control of any person engaged in the manufacture, storage for sale, sale or distribution of any such Ductile Iron Pressure Pipes and Fittings;
- (c) enter and search any premises and seize Ductile Iron Pressure Pipes and Fittings in respect of which it has reason to believe that a contravention of this Order has been committed or the said Ductile Iron Pressure Pipes and Fittings are not of the specified standard.

(2) The provisions of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974) relating to search and seizure shall, so far as may, be applied to searches and seizures for the purpose of provision referred to in sub-section (1).

6. **Testing of samples** – Samples of any Ductile Iron Pressure Pipes and Fittings bearing the Standard Mark and drawn by the Appropriate Authority, for ascertaining whether they are of the specified standard, shall be tested in the laboratory approved by the Bureau and in such manner as may be determined by the Bureau.

7. **Power to issue direction to manufacturers and dealers or sellers** – The appropriate authority may issue such directions to manufacturers and dealers, consistent with the provisions of the Act or this Order, as may be necessary for carrying out the purposes of this Order.

8. **Compliance of directions** – Every person engaged in the manufacture, storage for sale, sale or distribution of any Ductile Iron Pressure Pipes and Fittings to whom any direction is issued under this Order, shall comply with such direction.

9. **Obligation to furnish information** – No manufacturer or dealer shall with intent to evade the provisions of this Order, refuse to give any information lawfully demanded from him under clause 5 or conceal, destroy, mutilate or deface any books or documents or any Ductile Iron Pressure Pipes and Fittings kept by, or in the possession or control of, such person.

SCHEDULE

[See clause 2(d)]

Indian Standard Number	Title
(1)	(2)
IS 8329	Centrifugally Cast (Spun) Ductile Iron Pressure Pipes for Water, Gas and Sewage.
IS 9523	Ductile Iron Fittings for Pressure Pipes for water, gas and sewage.

[F. No. 14(37)/2004-LEI]

RENU SHARMA, Jt. Secy.